बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 1883 /पटना, दिनांक–24/6/19

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL.No.	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Chakia	Chakia	NH-28 To Ganesh Baitha House to Brita Tola Chakbara	2.73	77.320	37.546	7.732	122.598
2	Chakia	Chakia	NH-28 to Parsauni Khem	1.984	47.719	27.735	4.7719	80.2259
3	Chakia	Chakia	Madhuban Bediban Reo Road To Chakania	2.035	47.386	28.263	4.7386	80.3876
4	Chakia	Chakia	NH-28 To Balwa Via Madhu Chhapra	3.1	61.521	43.301	6.1521	110.9741
5	Chakia	Chakia	Pipra REO Road To Bishanpura	2.932	76.708	41.014	7.6708	125.3928
6	Chakia	Chakia	L028 Pipra REO Road To Bhagwanpur Via Sagar	5.899	129.026	81.771	12.9026	223.6996
7	Chakia	Kesariya	Reo road to kunarwa	3.00	77.225	41.848	7.7225	126.7955
8	Chakia	Kesariya	Reo road to paduman chhapra	1.228	37.726	18.204	3.7726	59.7026
9	Chakia	Kesariya	Husseni to bijdhari maffi	4.37	135.255	61.46	13.5255	210.2405
10	Chakia	Kesariya	Rampur Korar to Baria Dhekha	10	297.935	140.658	29.7935	468.3865
11	Chakia	Kesariya	Kesaria to Bathna	5.712	159.182	78.398	15.9182	253.4982
12	Chakia	Mehsi	MEHASI GUMATI BISHAMBHARPUR ROAD RAMPUR SHANKAR TO CHAURIYA	5.8	145.541	82.103	14.5541	242.1981
13	Chakia	Mehsi	Minapur PWD Rd From Bala Kothi to Parsaunia vil	1.7	44.783	23.882	4.4783	73.1433
14	Chakia	Mehsi	JHITKAHIYA KASHI PAKRI THWOLWA PATH (DHELULWAHA PATH)	3.00	68.322	42.566	6.8322	117.7202
15	Chakia	Mehsi	BHURPURWA BANDH TO SALAMPUR BAZAR	3.364	92.106	47.784	9.2106	149.1006
16	Chakia	Mehsi	BHAKHARI NAZIR NH-28 TO PARSOUNI DEWAZ MAHMODPPUR MALLICK	4.609	101.963	65.634	10.1963	177.6933

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

17	Chakia	Mehsi	BHAKHARI NAZIR NH-28 TO SEMRA	7.629	167.966	107.851	16.7966	292.6
18	Chakia	Kalyanpur	Rajpur PWD Road to Bisunpurratti	2.211	51.82	31.477	5.182	88.479
19	Chakia	Kalyanpur	P.W.D. Road to Shitalpur (Bhuwan Chapra)	3.337	94.038	46.444	9.4038	149.886
20	Chakia	Kalyanpur	R.E.O Road near Bhuwanchhapra - Mannichhapra	5.74	146.734	81.03	14.6734	242.4374
21	Chakia	Kalyanpur	Narayanpur W.B. Road to Dilawarpur	6.965	206.554	99.341	20.6554	326.5504
22	Chakia	Kalyanpur	Kotwakalyanpur Through Road near Dawpur - Bariya	8.365	206.577	121.117	20.6577	348.3517
23	Chakia	Kalyanpur	Gavandra - Rampur	3.309	70.442	47.381	7.0442	124.8672
24	Chakia	Kalyanpur	Kalyanpur to Kesaria PWD Road via Rajpur village.	7.1	152.002	100.001	15.2002	267.2032
			TOTAL	106.119	2695.851	1496.709	269.5851	4462.145

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, चकिया** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**03.06.2019** को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4(मु0)–3054 04–82/2019 के पृ0– 05/टि0 पर दिनांक– 12/6/19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मो0 सोहैल)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 1883/पटना, दिनांक– 24/6/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 1883/पटना, दिनांक–24/6/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**/उप विकास आयुक्त, **पूर्वी चम्पारण**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–3** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **मोतिहारी**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **चकिया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव